

SHREE BHANWAR LAL DUGAR AYURVED VISHWA BHARTI

(O) 01564-220176
01564-225454

(Affiliated to Dr.S.R. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur
Approved by Central Council of Indian Medicine)

GANDHI VIDYA MANDIR

Founded by Shri Kanhaiyalal ji Dugar (Late Swami Shri Ram Sharanji)
SARDARSHAHR-331403 (Distt. CHURU - RAJASTHAN)
(A Pioneer Institute of Ayurved Education and Research)



Website : www.ayurvishvabharti.iaseuniversityonline.org email : avbgvm@yahoo.co.in

क्रमांक - आविभा / 2021-22 /

दिनांक : 30.03.2022

कार्यालय-आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय में रैगिंग पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक विशिष्ट अधिनियम "UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in higher Educational Institutions 2009" बनाया है, जिसका उद्देश्य महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले "फ्रेशर्स" के साथ रैगिंग जैसे दुर्व्यवहार पर त्वरित एवं प्रभावी नियन्त्रण करना है।

श्री भँवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती, गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर में रैगिंग जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियन्त्रण एवं सम्बन्धित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु रैगिंग समिति एवं रैगिंग विरोधी दल गठित है, जिसका पुनर्गठन किया जा रहा है, जो अधिनियम 2009 के अनुरूप कार्य कर महाविद्यालय में रैगिंग पर पूर्ण नियन्त्रण रखेंगे।

रैगिंग विरोधी दल (Anti Ragging Squad)

1.	डॉ. रवीन्द्र कुमार	प्राचार्य - अध्यक्ष
2.	डॉ. श्यामलाल शर्मा	उप-प्राचार्य
3.	डॉ. धनराज नागर	उप-प्राचार्य
4.	डॉ. सुनीता गुप्ता	प्रोफेसर
5.	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	प्रोफेसर
6.	डॉ. सुदेश लमोरिया	रीडर
7.	डॉ. सौरभ अग्रवाल	रीडर
8.	डॉ. संतोष जैन	वार्डन (दुर्गावती छात्रावास)
9.	श्री चन्द्रशेखर भारती	वार्डन (शिवाजी छात्रावास)
10.	श्रीमती कृष्णा	वार्डन (बजाज छात्रावास)

दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय, कैंटीन, छात्रावास व रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की हर समय पैटरॉलिंग व अचानक निरीक्षण कर रैगिंग जैसी घटनाओं के होने पर नियन्त्रण रखेंगे एवं किसी भी संकाय सदस्य, अभिभावक, कर्मचारी अथवा छात्र इत्यादि द्वारा घटना की जानकारी प्राप्त होने पर घटना स्थल पर जाकर जांच करेंगे एवं जांच रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग विरोधी समिति (Anti Ragging Committee) को उचित कार्यवाही हेतु सौंपेंगे।

SHREE BHANWAR LAL DUGAR AYURVED VISHWA BHARTI (O) 01564-220176 01564-225454

(Affiliated to Dr.S.R. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur
Approved by Central Council of Indian Medicine)

GANDHI VIDYA MANDIR

Founded by Shri Kanhaiyalal ji Dugar (Late Swami Shri Ram Sharanji)
SARDARSHAHAR-331403 (Distt. CHURU - RAJASTHAN)
(A Pioneer Institute of Ayurved Education and Research)



Website : www.ayurvishvabharti.iaseuniversityonline.org email : avbgvm@yahoo.co.in

(2)

रैगिंग विरोधी समिति (Anti Ragging Committee)

1.	डॉ. रवीन्द्र कुमार	प्राचार्य	अध्यक्ष
2.	डॉ. श्यामलाल शर्मा	उप प्राचार्य	सदस्य
3.	डॉ. धनराज नागर	उप-प्राचार्य	सदस्य
4.	डॉ. सुनीता गुप्ता	प्रोफेसर	सदस्य
5.	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	प्रोफेसर	सदस्य
6.	श्रीमान् तहसीलदार महोदय, सरदारशहर		सदस्य
7.	श्रीमान् थाना प्रभारी, सरदारशहर		सदस्य
8.	डॉ. कमलचन्द शर्मा	विद्यार्थी अभिभावक	सदस्य
9.	पूनाराम ढाका (बैच 2017)	प्रतिनिधि वरिष्ठ विद्यार्थी	सदस्य
10.	नवीन शर्मा (बैच 2021)	प्रतिनिधि फ़ेशर विद्यार्थी	सदस्य

समिति का यह दायित्व होगा कि वह विनियम प्रावधान तथा रैगिंग से सम्बन्धित कानून की अनुपालना करवायेगे एवं रैगिंग दल से सम्बन्धित कार्यों का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित प्रकरण का अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

हेल्प लाईन (Helpline)

1.	श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, चूरु		01562-250806
2.	श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, चूरु		01562-250804, 250803 (Res)
3.	श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, सरदारशहर		8696614244
4.	श्रीमान् तहसीलदार महोदय, सरदारशहर		01564-220094
5.	श्रीमान् थाना प्रभारी, सरदारशहर		01564-220098, 222100
6.	श्रीमान् सचिव, गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर		01564-220025 6377915007
7.	डॉ. रवीन्द्र कुमार	प्राचार्य	9828476447
8.	डॉ. श्यामलाल शर्मा	उप-प्राचार्य	9887430662
9.	डॉ. धनराज नागर	उप-प्राचार्य	7891302771
10.	डॉ. सुनीता गुप्ता	प्रोफेसर	9460259037
11.	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	प्रोफेसर	9414234455
12.	डॉ. सुदेश लमोरिया	रीडर	9530296180
13.	डॉ. सौरभ अग्रवाल	रीडर	9630296180
14.	डॉ. आशा के.पी	रीडर	9995917339
15.	डॉ. अंकिता	लेक्चरर	9461058087

SHREE BHANWAR LAL DUGAR AYURVED VISHWA BHARTI (O) 01564-220176 01564-225454

(Affiliated to Dr.S.R. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur
Approved by Central Council of Indian Medicine)

GANDHI VIDYA MANDIR

Founded by Shri Kanhaiyalal ji Dugar (Late Swami Shri Ram Sharanji)
SARDARSHAHR-331403 (Distt. CHURU - RAJASTHAN)
(A Pioneer Institute of Ayurved Education and Research)



Website : www.ayurvishvabharti.iaseuniversityonline.org email : avbgvm@yahoo.co.in

(3)

16	डॉ. संतोष जैन	दुर्गावती छात्रावास	लेक्चरर/वार्डन	9414351109
17	श्री नंद कुमार जांगिड़	प्रताप छात्रावास	लेक्चरर/वार्डन	6377915050
18	श्रीमती कृष्णा	बजाज छात्रावास	वार्डन	9672374547
19	श्री चन्द्रशेखर भारती	शिवाजी छात्रावास	वार्डन	9784273659

(डॉ. रवीन्द्र कुमार)
प्राचार्य

क्रमांक - आविभा/2021-22/01-23

दिनांक - 30.03.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, चूरु
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, चूरु
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, सरदारशहर
4. श्रीमान् कुलसचिव महोदय, डॉ. एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कडवड, नागौर रोड, जोधपुर
5. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, सरदारशहर
6. श्रीमान् थानाधिकारी महोदय, सरदारशहर
7. श्रीमान् सचिव महोदय, गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर
8. रैगिंग विरोधी समिति, दल एवं हेल्प लाईन के सदस्य
9. छात्रावास अधीक्षक (छात्र/छात्रा)
10. नोटिस बोर्ड
11. रक्षित पत्रावली

(डॉ. रवीन्द्र कुमार)

प्राचार्य

श्री भँ. ला. दू. आ. वि. भारती
गाँ. वि. मं. सरदारशहर


श्री भँवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती, गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर जिला चूरु
क्रमांक - आविभा/2022/387

दिनांक 14.10.2022

कार्यालय-आदेश

डॉ. सौरभ अग्रवाल, एसो. प्रोफेसर (स्वस्थवृत विभाग) को महाविद्यालय की एन्टी रैगिंग कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वे एन्टी रैगिंग से संबंधित समस्त कार्य अपने निर्देशन में सम्पादित करवायेंगे। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक राआवि/सा.शाखा/2021/2022/6563-600 दिनांक 29.09.22 इसके साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भवदीय,


उप प्राचार्य

प्रतिलिपि -

1. डॉ. सौरभ अग्रवाल, एसो. प्रोफेसर (स्वस्थवृत विभाग)
2. रक्षित पत्रावली

श्री भँ. ला. दू. आ. वि. भारती
गाँ. वि. मं. सरदारशहर



**डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर**

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडयड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : <https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/dr-sarvepalli-radhakrishnan-rajasthan-ayurved-university-lodhp/en/home.html> E-mail- registrar.dsrrau@gmail.com

क्रमांक :- रा.आ.वि./सं.शा.वि/2021/2022/6563-600 दिनांक :- 29-9-22

प्राचार्य

समस्त संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथिक/योगो
एवं नैसिंग प्रशिक्षण केंद्र,

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

विषय :- ए.टी. रेंगिंग दिशा निर्देशों की पालना एवं कार्यवाही एवं रिपोर्ट के क्रम में।

संदर्भ :- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार क्रमांक/F.No.

MISC./BUSS-2021(1) Date 20.09.2022 and 05.09.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ए.टी. रेंगिंग से संबंधित की कार्यवाही की रिपोर्ट यथा शीघ्र प्रेषित कराने का श्रम करावे जिसे NCISM को प्रेषित किया जा सके।


कुलसचिव



भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यालय: 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, डी-ब्लॉक नई दिल्ली -110058

National Commission for Indian System of Medicine

Ministry of AYUSH, Govt. of India

Office: 61-65, Institutional Area, Janakpuri, D-Block New Delhi-110058

होनो/ फोन

सभापति / Chairman: 28525156

सचिव / Secretary: 28525047

कार्यालय / Office: 28525464

पंजीयन / Registration: 28522519

फैक्स / Fax: 28520878

www.ncismindia.org

secretary@ncismindia.org

प्राधान्य: प्राधान्य

क्रमांक/ F.No. MISC./BUSS-2021(1)

दिनांक/Date: 20.09.2022

To,

The Principal/ Dean/Director
All ASUS colleges

Subject:- Anti-Ragging Measures to be initiated by all ASUS institution - regarding.

- Ref: 1) Directions of hon'ble Supreme Court of India issued on 08.05.2009
2) UGC regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (Under Section 26 (1) (g) of the University Grants Commission Act, 1956)

Sir/Madam,

With reference to the subject mentioned above and in continuation of this commission's letter Ref No MISC./BUSS-2021(1) dated 09.09.2022. I am directed to inform you that, to curb the menace of Ragging UGC has notified "Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009). These regulations are mandatory to be followed by all higher educational institutions.

Further, an advisory has been issued by the joint secretary, UGC to the Vice Chancellor of all the universities (copy Enclosed) to take adequate steps to prevent ragging in accordance with the above mentioned regulation and as per UGC's communication dated 16.09.2022 the same is hereby forwarded to you for the implementation of the same in your institution.

म. अ. प्र. शि. म.
न. उ. ल. अ. क. क. अ.
र. अ. शि. म. म. शि.
म. अ. प्र. शि. म.
म. अ. प्र. शि. म.
म. अ. प्र. शि. म.

20/9/22

President, Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa
Nodal Officer NCISM- Anti Ragging Cell UGC
(NCISM)

Copy to:-

1. Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi-110058.
2. All Board President, NCISM.
3. The Joint Secretary, University Grants Commission, Ministry of Education, Govt. of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, Contact No.: 011-23239597, E-mail: archana.ugc@nic.in
4. The Section Officer, University Grants Commission (UGC) Anti Ragging Cell, 35, Feroze Shah Road, New Delhi-110001, Contact No.: -011-23382087, Email: rraggingcell@yahoo.in
5. Guard file

(Dr. K. Jagannathan)
President, Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa
Nodal Officer NCISM- Anti Ragging Cell UGC
(NCISM)



ज्ञान-विज्ञान विस्तारणे

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236200/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : socg.ugc@nic.in

ब.श.मि.सं० 1-15/2009 (एम्बरसी) पीटी.111

सितंबर, 2022

16 SEP 2022

प्रिय महोदया / महोदय,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 8.5.2009 से प्राप्त निर्देशों तथा भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग- निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए यू.जी.सी. के अधिनियम 1956 धारा 28 उपखंड (G) उपखंड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यू.जी.सी. ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 को अधिसूचित किया है। संपूर्ण जानकारी के लिये यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट: www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर उपलब्ध है। यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित किया गया यह अधिनियम सभी शिक्षण संस्थानों के लिये अनिवार्य है और सभी संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया सहित अन्य आवश्यक कदम उठावें और इस अधिनियम में उल्लेखित प्राव्यों के किसी भी तरह के उल्लंघन को उनके द्वारा संभ्रमता से लिया जाए। यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है या यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है और रैगिंग की घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने में विफल रहता है तो यूजीसी द्वारा उस संस्थान के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस संदर्भ में सभी संस्थानों से अनुरोध है कि विभिन्न रैगिंग-रोधी माध्यमों के पर्याप्त प्रचार प्रसार, रैगिंग-रोधी समिति एवं रैगिंग-रोधी दस्ते का गठन, रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, रैगिंग-रोधी कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन, सभी वेबसाइटों को नोटल अधिकारियों के पूर्ण विवरण सहित अपडेट कर, बलार्म बंदी आदि द्वारा रैगिंग-रोधी तंत्र को आगे बढ़ाएं। छात्रों से नियमित बातचीत और काउंसलिंग, शरारती छात्रों की पहचान और संस्थान के ई- प्रोत्सेकटस और ई- सूचना पुस्तिकाओं / विवरणिकाओं में रैगिंग-रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, हॉस्टल, छात्रावास, जल पान गृह, बियाम व मनोरंजन कक्ष, शौचालयों व बस अड्डों का औचक निरीक्षण किया जाए तथा संस्थान का प्रवेश केंद्र, बिमारों, पुस्तकालयों, जल पान गृह, हॉस्टल, सार्वजनिक सुविधाएं आदि जैसे सभी प्रमुख स्थानों पर रैगिंग-रोधी पोस्टर लगाये जाएं। ये पोस्टर यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। पोस्टरों का आकार 8 x 6 फीट होना चाहिए। संस्थान रैगिंग व किसी अनुचित व्यवहार / घटना की रोकथाम के लिये कोई अन्य उचित उपाय भी कर सकते हैं।

रैगिंग से जुड़ी घटनाओं के कारण संकट में पड़े छात्र राष्ट्रीय रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5622 (24x7 टोलफ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग-रोधी helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं। रैगिंग संबंधित अन्य जानकारी के लिये कृपया यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएं और यूजीसी की निगरानी एजेंसी अर्थात सेंटर फॉर यूथ (सी4वाई) के मोबाइल नंबर 09818044577 पर संपर्क करें (केवल आपातकाल के मामले में)।

यूजीसी विभिन्न प्रकार के रैगिंग - रोधी मीडिया अभियान भी चलाती है और यूजीसी ने रैगिंग निषेध को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की हैं जो यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं:-

- यूजीसी ने माता-पिता, पीढ़ित और दोषियों के परिचय में पांच टीवी क्लिप (प्रत्येक 30 सेकंड) तैयार की हैं।
- यूजीसी ने चार प्रकार के पोस्टर तैयार किये हैं और इनको विश्वविद्यालयों/ नियामक प्राधिकरणों / परिवर्षों / आईआईटी / एनआईटी / अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए आर्बिट्रि किया है।

(हस्ताक्षर)

ग) सूचीसी में छात्रों/ शिक्षकों/ आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता साने के लिये रैपिन-रोधी विषय से संबंधित दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

सूचीसी विनियमों के दूसरे संशोधन के अनुपालन में, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता-पिता द्वारा www.antiragging.in पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक ऑनलाइन बचनबंध (Undertaking) जमा करना अनिवार्य बनाये।

आपसे यह भी अनुरोध है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन रैपिन-रोधी सचय-पत्र साक्षित करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें। छात्रों को उसकी पंजीकरण संख्या के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा। छात्र उस ई-मेल को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नोडल अधिकारी के ई-मेल में अद्योपित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि छात्रों को पीडीएफ सचय-पत्र प्राप्त नहीं होना और उन्हें इसे प्रिंट कर हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि पहले के मामले में प्रकाश करवाया)।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की रैपिन रोधी समिति के नोडल अधिकारी का ई-मेल, पता और संपर्क नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास और सावधान्य बुविधा आदि स्थानों पर प्रदर्शित करना होगा।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रकार के अनुसार अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में निम्नवत एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैपिन रोधी बचन पत्र संदर्भ संख्या:

--

विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध है कि वे ऑनलाइन अनुपालन www.antiragging.in पर करें और अपने वेबसाइट में अपने वाले सभी महाविद्यालयों को भी इसका पालन करने का निर्देश दें।

आदर,


प्रबन्धीय,


(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

प्रतिबिधि:

1. सभी निवामक प्राधिकरणों (संलग्न सूची के अनुसार) से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने परिधि क्षेत्र में आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने परिधि क्षेत्र में आने वाले सभी महाविद्यालयों /संस्थानों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
3. सुप्री कउन्सील ऑफ़, अवर सचिव (एचई), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 (ajitkumar@nic.in)।
4. उप सचिव, (वेबसाइट), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सूचीसी की वेबसाइट पर रैपिन से संबंधित परिपत्रों को अपलोड करने के लिए)।
5. सुप्री अलका तामर, सेंटर फॉर यूथ (C4Y) (alika.tamar@c4yindia.org) (antiragging.in पर अपलोड करने के लिए)।


(डॉ अरुणा अग्रवाल)
संयुक्त सचिव



भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
 कार्यालय: 61-63, इंस्टीटुशनल एरिया, जमशुक्ति, नई दिल्ली - 110058
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
 Office: 61-63, Institutional Area, Janshukti, D-Block New Delhi-110058.

NCISM Phone
 अध्यक्ष / Chairman: 28525158
 सचिव / Secretary: 28525287
 कार्यालय / Office: 28525464
 पंजीयन / Registration: 28525519
 टेली / Fax: 28520878
 www.ncismindia.org
 secretary@ncismindia.org

5/1 92118 21/1
 1/32 2/1/1/1/1
 रजि 27/10 1/1/1
 नं 57911

संख्या/F.No. MISC/BUSS-2021(1)

दिनांक/Date: 05.09.2022

To,
 ✓ The Principal/ Dean/Director
 All ASUS Colleges

Subject: - Anti-Ragging Measures to be initiated by all ASUS Institution - regarding.

Ref: 1) Directions of Hon'ble Supreme Court of India issued on 08.03.2009
 2) UGC regulations for curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (Under Section 26 (1) (g) of the University Grants Commission Act, 1956)

Sir/Madam,

As you all are aware that, ragging in any educational institutions has become a menace in recent years, and therefore, to curb the menace of ragging several preventive/ basic measures already been followed by all ASUS Institution. NCISM hereby appreciates all the efforts/ measures taken by you, to curb the menace of ragging in the past years.

Further, it is once-again brought to your kind notice that ragging is a criminal offence and UGC has notified "Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009 (Copy Enclosed). These regulations are mandatory to be followed by all higher educational institutions.

Further, as per a D.O. letter ref no.1-15/2009 (ARC) pt III dated 27.06.2019 issued by UGC (copy enclosed) multiple mechanisms are required to ensure a Ragging free campus. Some recommendation and action steps required to be deployed in your esteemed institution shall be as under:-

A. Basic Measures:

1. ✓ Constitution of Anti- Ragging Committee, Anti- ragging Squad, Setting up of Anti-ragging cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
2. ✓ Mention of Anti-Ragging warning in the institution's Prospectus and information booklets/ Brochures shall be ensured.
3. ✓ Updating website of institution with the complete address and contact details of nodal officers related to anti-ragging committee
4. ✓ In compliance with the UGC Regulations and its 2nd Amendment regarding submission of Undertaking by each student and every parent, an online undertaking in every academic year to be submitted.
5. ✓ UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following:-
 "3. "any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (freshers or otherwise) on the ground of color, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity place of birth, place of residence or economic background."
6. ✓ Installing CCTV cameras at vital points.

B. Counseling and monitoring measures

1. ✓ Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.
2. ✓ Surprise inspection at hostels, students accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would sugar well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behavior/incident shall be undertaken.

C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus

1. ✓ Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.
2. ✓ Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed.

The Anti-Ragging guidelines of UGC to be followed on Curbing the menace of Ragging. E-content on statement of Ragging such as TVCs, Jingles, Short Films and Posters etc. are available on the website of UGC for wide circulation.

Also added that if any ragging related activity reported in your institution, you are requested to submit the action taken report of the same to the following mail id- raggingcell@ncismindia.org and also directed to adopt and implement the above mention steps to ensure a ragging free campus.

[Note:- preparation of Information Education Communication (IEC) materials are under process by UGC. The same will be shared shortly.]


(Dr. K. Jagannathan)

President, Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa
Nodal Officer NCISM-Anti Ragging Cell UGC

Copy to:-

1. Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi-110054
2. All Board President, NCISM.
3. The Joint Secretary, University Grants Commission, Ministry of Education, Govt. of India, Marg, New Delhi-110002, Contact No.: 011-23239397, E-mail: grchans.ugc@nic.in
4. The Section Officer, University Grants Commission (UGC) Anti Ragging Cell, 35, Feroze Shah Road, New Delhi-110001, Contact No.: 011-23382087, Email: raggingcell@vsnl.in
5. Guard file

(Dr. K. Jagannathan)
President, Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa
Nodal Officer NCISM-Anti Ragging Cell UGC



SHREE BHANWAR LAL DUGAR AYURVED VISHIWA BHARTI

(Affiliated to Dr. S R. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur)

Approved by National Commission for Indian System of Medicine)

GANDHI VIDYA MANDIR

Founded by Shri Kanhaiyalal Ji Dugar (Late Swami Shri Ram Sharanji)

SARDARSHHR-331403 (Dist. CHURU – RAJASTHAN)

(A Pioneer Institute of Ayurved Education and Research)

Website--www.ayurvishvabharti.iaseuniversityonline.org

Email: avbgvm@yahoo.co.in

क्रमांक :- आविभा/2022/244

दिनांक : 12.10.2022

श्रीमान् कुलसचिव

डॉ. एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय

कडवड, नागौर रोड़, जोधपुर

विषय :- ए.टी. रैगिंग दिशा-निर्देशों की पालना एवं कार्यवाही रिपोर्ट के संदर्भ में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक राआवि/सा.शाखा/2021/2022/6563-600 दिनांक 29.09.22

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि महाविद्यालय में ए.टी. रैगिंग दिशा-निर्देशों की पालना एवं कार्यवाही की जाती है तथा इसके अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा रैगिंग विरोधी दल (Anti Ragging Squad), रैगिंग विरोधी समिति (Anti Ragging Committee), हेल्प लाइन का गठन किया गया है जिनके द्वारा समय-समय पर महाविद्यालय एवं छात्रावास परिसर में औचक निरीक्षण किया जाता है। समिति में तहसीलदार तथा थानाधिकारी, सरदारशहर भी सम्मिलित हैं। रैगिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर उस पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। हेल्प लाइन के सदस्यों के नाम सहित मोबाइल नम्बर महाविद्यालय परिसर, छात्रावास परिसर, मुख्य गेट इत्यादि पर लगाये गये हैं तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश भी परिसर के मुख्य स्थलों पर लगाये गये हैं।

सूचनार्थ प्रेषित है ।

संलग्न -

1. रैगिंग विरोधी दल (Anti Ragging Squad), रैगिंग विरोधी समिति (Anti Ragging Committee) की सूची।
2. हेल्प लाइन सूची

भवदीय,

उप प्राचार्य

श्री डॉ. ला. दू. आ. वि. भारती
गाँ. वि. मं. सरदारशहर

Reg Anti Raggibg rulls & Regulation

From: AVB GVM Sardar shahar (avbgvm@yahoo.in)

To: academic.dsrrau@gmail.com

Date: Friday, 14 October, 2022 at 11:03 am IST

Sir/Madam

Kindly find attachment.

Principal

SBLD Ayurved Vishwa Bharati

SardarShahar-331403

Churu

Rajasthan

Institution ID-AYU0227

9828476447,6377915039

<https://ayurvishvabharti.iaseuniversityonline.org/ayurvishvabharti>

**Do not take hard copy unless needed.
Save Paper and Trees**



anti ragging.pdf
259.4kB



anti ragging committee signature mobile no.pdf
672.7kB



helpline member mobile no.pdf
419.3kB